# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 790/2024**
मामराज

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर, राजस्थान।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 12.03.2024

**उपस्थिति :–**

अपीलार्थी की ओर से : श्री कमल चमड़िया, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर तह. सीकर (ग्रामीण) में कार्यरत हैं। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यालय तहसील, नेछवा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान में जहां अपीलार्थी का पदस्थापन है, वहां तीन वरिष्ठ सहायक के पद है, जिनमें केवल अपीलार्थी ही कार्यरत है। अपीलार्थी के स्थानांतरण से सीकर में कार्यव्यवस्था चरमरा जायेगी। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी और माता की देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। अपीलार्थी की माता की आयु 71 वर्ष है, जो टीबी रोग से पीड़ित है, जिनका ईलाज सीकर में चल रहा है। अतः दूर स्थानांतरण से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक

को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**